कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 297 /FP/UK/ROAD/8895/2014 :देहरादूनः दिनांकः 10 अगस्त, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :–जनपद–रुद्रप्रयाग में मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/8895/2014)

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/267/2015/एफ0सी0/582 दिनांकः–26.06.2018 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी के पत्रांक 71/12–1 दिनांक 11.07.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है : –

क्र0सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 4200 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 4200 पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित) रुपये 46,20,000.00 (छियालीस लाख बीस हजार) मात्र वैब पोर्टल पर Online चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की गयी है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रुपये 5,97,870.00.00 (पांच लाख सत्तानब्बे हजार आठ सौ सत्तर) मात्र वैब पोर्टल पर Online चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की गयी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वत्ता प्रस्तुत की जाए।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.07.2023 से अवगत कराया गया है कि शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वत्ता प्रस्तुत की गई है। **(संलग्नक–2)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनरा‍ि। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रुप में मान्य नहीं होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियों (CA cast, NPV etc.) की धनराशि रुपये 52,17,870.00.00 (बावन लाख सतरह हजार आठ सौ सत्तर) मात्र को वैब पोर्टल पर Online चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की गयी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**

5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां– जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.07.2023 से अवगत कराया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वत्ता प्रस्तुत की गई है। **(संलग्नक–3)**
6	State Govt. may submit original hard copy of the geo-refrenced digital map for road as uploaded in online Part I.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त मोटर मार्ग के डिजिटल/टोपोशीट मानचित्रों की मूल प्रति पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ संलग्न कर गई थी। पुनः डिजिटल/टोपोशीट मानचित्रों की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**
7	State Govt. will submit the original hard copy of the authorized certificate of the person making the application.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा authorized certificate की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। **(संलग्नक–5)**
8	State Govt. may upload correct data about employment details at para-E online Part-I	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.07.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त para-E में ऑनलाईन संशोधन किया जाना संभव नहीं हो रहा है, चूंकि प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ऑनलाईन संशोधन किये जाने का विकल्प खुल नहीं रहा है तथा उक्त पैरा में अपने स्तर से ऑनलाईन संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः उक्त पैरा में आप अपने स्तर से ऑनलाईन संशोधन करने की कृपा कीजिएगा। Para-E से सम्बन्धित विवरण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा हार्ड प्रति में संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–6)**
9	State Govt. may submit original hard copy of site suitability certificate.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.07.2023 से अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव हेतु site suitability certificate की मूल प्रति पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ संलग्न कर गई थी। पुनः site suitability certificate की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–7)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–297/ FP/UK/ROAD/8895/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।